कार्यालय पुलिस नियंत्रण कक्ष आयुक्तालय जोधपुर

प्रेस–नोट
(दिनांक 31.07.2024)
आयुक्तालय जोधपुर

श्री राजेंद्र सिंह पुलिस आयुक्त जोधपुर के निर्देशानुसार पुलिस आयुक्तालय जोधपुर में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं यातायात नियमों की पालनार्थ हेतु दिनांक 30.07.2024 को वक्त 07.00 पी.एम. से 11.00 पी.एम. तक धारा 60 पुलिस एक्ट व धारा 185 एमवी एक्ट तथा वाहनों की चैकिंग कर काले शीशे, बिना नंबरी व बंपर लगे वाहनों के विरुद्ध एम.वी. एक्ट में चालान की कार्यवाही करने का अभियान चलाया गया।

पुलिस आयुक्तालय जोधपुर के समस्त थानाधिकारीगण को अंतर्गत धारा 60 पुलिस एक्ट, 185 एम.वी. एक्ट तथा काले शीशे, बिना नंबरी, बंपर लगे वाहनों के विरुद्ध ज्यादा से ज्यादा कार्यवाही करने के दिशा निर्देश दिए गए।

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशों की पालना में पुलिस आयुक्तालय जोधपुर के समस्त वृत सहायक पुलिस आयुक्तगण अपने–अपने वृत क्षेत्र के थाना अधिकारियों को अपने हल्का क्षेत्र में अभियान के तहत कार्यवाही के संबंध में ब्रीफ कर रवाना किया।

समस्त थानाधिकारीगण अपने–अपने थाना की पुलिस बल टीमों के साथ चार घंटे के संघन चैकिंग अभियान के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध धारा 185 एम.वी. एक्ट में 42 चालान, काले शीशे लगे वाहन के 12 चालान, बिना नंबरी वाहन के 02 चालान व बंपर लगे वाहनों के 07 के खिलाफ एम.वी. एक्ट में चालान की कार्यवाही की गई तथा साथ ही धारा 60 पुलिस एक्ट में कुल 82 के खिलाफ कार्यवाही की गई।

आमजन से आग्रह है कि अपने जीवन के साथ–साथ दूसरों के जीवन को भी सुरक्षित बनाए व सड़क सुरक्षा नियमों की पालना अवश्य करें। यातायात नियमों की पालना कर एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाए तथा आपके आस–पास क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गैरकानूनी, अनैतिक, अवैध शराब/मादक पदार्थ की बिक्री या किसी संदिग्ध व्यक्ति आदि की जानकारी होने पर इसकी सूचना तुरंत संबंधित पुलिस थाना या पुलिस नियंत्रण कक्ष नं. 100/112 पर सूचित करे।

प्रभारी

पुलिस नियंत्रण कक्ष,
आयुक्तालय जोधपुर।